JHARCRAFT

(A Govt. of Jharkhand Undertaking) (CIN: U17122JH2006SGC012606)

झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड हैण्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

पत्रांक–1651 राँची, दिनांक–29/11/2024

बुनकरों के लिए सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत बुनकर समितियों/समूहों के लिए कुशलता उन्नयन एवं बुनाई प्रशिक्षण, रंगाई एवं छपाई, डिजाईन में प्रशिक्षण, लूम एवं सहायक साज–सज्जा एवं बुनकर वर्कशेड के निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उक्त के आलोक में समितियों/समूहों के द्वारा Online आवेदन भरकर उसका प्रिन्टआउट के साथ अपना आवेदन पत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न कर मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक–21.12.2024 तक जमा कर सकते है।

नियम तथा शर्तें एवं Online आवेदन भरने का लिंक झारक्राफ्ट के वेबसाईट www.jharcraft.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

ज्ञापांक– 1651 दिनांक– 29/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. मो0 रेजाउल हक, लेखापाल एवं श्रीमती अनुबाला कुजूर, कम्प्युटर ऑपरेटर झारक्राफ्ट मुख्यालय, राँची को निदेश है कि वे मुख्यालय में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर प्रभारी (हस्तकरघा) को सूचित करेंगी।
2. झारक्राफ्ट के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी को निदेश है कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों में इससे संबंधित जमा किये गये आवेदनों को एकत्रित कर वरीय सहायक महाप्रबंधक (हस्तकरघा एवं उत्पादन) को साप्ताहिक रूप से सूचित करेंगे।

ह0/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

<u>कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण के लिए (बुनाई, रंगाई एवं छपाई, प्रशोधन तथा डिजाईन) नियम एवं शर्तें :–</u>

1. बुनकर समितियों/समूहों को 20–20 के समूह में कुशलता उन्नयन एवं बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र दो माह का होगा एवं उसपर प्रति समूह 2,92,000/– (दो लाख बानवे हजार रूपये) का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें मास्टर ट्रेनर हेतु अधिकतम @ 600/– रूपये प्रतिदिन की दर से दो माह हेतु मानदेय की राशि रू0 36,000/– दो माह हेतु, 20 प्रशिक्षणार्थियों को @ 210 प्रति दिन की दर से 60 कार्य दिवस हेतु रू0 2,52,000/– का व्यय अनुमानित है।
2. बुनकर समितियों/समूहों को 20–20 के समूह में रंगाई एवं छपाई प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र 15 दिवसीय होगा। एवं उसपर प्रति समूह रू0 1,59,000/– का कुल व्यय अनुमानित है। जिसमें मास्टर ट्रेनर हेतु अधिकतम @ 800/– रूपये प्रतिदिन की दर से 15 दिवसीय हेतु मानदेय की राशि रू0 12,000/– सहायक ट्रेनर हेतु अधिकतम @ 400/– रूपये प्रतिदिन की दर से कुल रू0 6,000/– तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों को @ 300 प्रति दिन की दर से 15 कार्य दिवस हेतु रू0 90,000/– का व्यय अनुमानित है।
3. बुनकर समितियों/समूहों को 20–20 के समूह में डिजाईन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र एक माह होगा। एवं उसपर प्रति समूह रू0 2,71,800/– का कुल व्यय अनुमानित है। जिसमें मास्टर ट्रेनर हेतु अधिकतम @ 800/– रूपये प्रतिदिन की दर से एक माह हेतु मानदेय की राशि रू0 24,000/– सहायक ट्रेनर हेतु अधिकतम @ 400/– रूपये प्रतिदिन की दर से कुल रू0 12,000/– तथा एक माह हेतु, 20 प्रशिक्षणार्थियों को @ 300 प्रति दिन की दर से 30 कार्य दिवस हेतु रू0 1,80,000/– का व्यय अनुमानित है।
4. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था के द्वारा कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
5. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट के द्वारा वर्कशेड एवं लूम एवं सहायक साज–सज्जा प्रदान किया गया हो वैसे आवेदनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. समितियों/समूहों के पास कम से कम तीन लूम उपलब्ध होना चाहिए।
7. समितियों/समूहों के पास प्रशिक्षण हेतु स्थल/भवन उपलब्ध होना चाहिए।
8. सभी वरीय कलस्टर प्रबंधक/कलस्टर विकास पदाधिकारी/वरीय परियोजना प्रबंधक/पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के दौरान समिति/समूहों को समूहिक फोटो बैनर के साथ एवं विडियो उपलब्ध कराना सुनिचित करेंगे।
9. कुशलता उन्नयन एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित समितियों/समूहों का नियम एवं शर्तों के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा।
10. समितियों/समूहों के प्रत्येक लाभुकों का विवरणी एवं स्वघोषणा पत्र दिये गये प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
11. लाभुक बुनकर समितियों/समूहों का चयन अंतिम रूप से इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, निदेशालय झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

(नोटः– समितियों/समूहों का उपरोक्त नियम एवं शर्तें के साथ सभी दस्तावेजों पर समितियों/समूहों द्वारा स्वअभिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, उसके उपरांत प्राप्त आवेदन के चयन पर निर्णय लिया जाएगा।)

ह0/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए नियम एवं शर्ते :–

1. बुनकरों के लिए नये लूम एवं सहायक साज–सज्जा को क्रय किया जायेगा। प्रत्येक समूह पर औसतन रू0 2.00 लाख व्यय अनुमानित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी समूह को 10% की दर से अंशदान के रूप में रू0 20,000/– (बीस हजार) झारक्राफ्ट, मुख्यालय राँची को DD/Check के माध्यम देय करना होगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा लूम एवं सहायक साज–सज्जा दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. जिन बुनकर समितियों/समूहों को झारक्राफ्ट द्वारा पूर्व में वर्कशेड एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. समितियों/समूहों के पास लूम एवं सहायक साज–सज्जा हेतु स्थल उपलब्ध होना चाहिए।
5. जो समूह/समिति चयन के उपरांत एक माह के अन्दर अंशदान की राशि जमा नहीं करते है वैसे समितियों/समूहों का चयन स्वतः अमान्य माना जाएगा।
6. लाभुक बुनकर समितियों/समूहों का चयन अंतिम रूप से इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, निदेशालय झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

Check List:-

(क) समितियों/समूहों का आवेदन पत्र जिसपर समितियों/समूहों के वर्त्तमान अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिव में से किसी दो के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ख) समितियों/समूहों के अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रारूप में स्व–घोषणा पत्र हस्ताक्षार्थ।

(ग) बुनकर लूम एवं सहायक साज–सज्जा के लिए संबंधित समितियों/समूहों को रेजुलेसन की प्रति का होना अनिवार्य है।

(घ) वर्त्तमान कार्य स्थल का फोटोग्राफ।

(नोटः– समितियों/समूहों का उपरोक्त नियम एवं शर्तें के साथ सभी दस्तावेजों पर समितियों/समूहों द्वारा स्वअभिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, उसके उपरांत प्राप्त आवेदन के चयन पर निर्णय लिया जाएगा।)

ह0/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची

<u>बुनकर कर्मशाला के लिए नियम एवं शर्तें :–</u>

1. इस योजना अन्तर्गत बुनकर कर्मशाला निर्माण पर 7.00 लाख रूपये का व्यय होगा। प्रत्येक बुनकर कर्मशाला में 20–25 बुनकर कार्य करेंगे। भवनों का निर्माण सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
2. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट या किसी अन्य संस्था द्वारा बुनकर कर्मशाला दिया जा चुका है, वैसे समितियों/समूहों को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
3. बुनकर वर्कशेड निर्माण हेतु चयनित समितियों/समूहों को Check List के अनुकूल आवेदन जमा करना होगा।
4. जिन समितियों/समूहों को पूर्व में झारक्राफ्ट के द्वारा प्रशिक्षण एवं लूम एवं सहायक साज–सज्जा प्रदान किया गया हो वैसे आवेदनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. समितियों/समूहों के पास वर्कशेड निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध होना चाहिए।
6. बुनकर वर्कशेड निर्माण के लिए भूमि का दानपत्र के साथ (परिवारिक सहमति पत्र) जिला/ब्लॉक के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
7. बुनकर कर्मशाला निर्माण के लिए सभी किस्तें डी0बी0टी0 (Direct benefit transfer) आधारित प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
8. बुनकर कर्मशाला निर्माण के लिए निम्न चार किस्तों में राशि प्रदान की जायेगी।

किस्त	किस्त की राशि	अनुमान्य निर्माण कार्य
प्रथम किस्त	सहयोग राशि का 15 प्रतिशत	बुनकर कर्मशाला स्वीकृति के पश्चात् प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरांत प्लिन्थ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। प्लिन्थ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभुक द्वितीय किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा।
द्वितीय किस्त	सहयोग राशि का 25 प्रतिशत	द्वितीय किस्त की राशि से लिंटल स्तर तक बुनकर कर्मशाला का निर्माण पूर्ण करना। लिंटन स्तर तक बुनकर कर्मशाला का निर्माण पूर्ण होने पर लाभुक तृतीय किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा।
तृतीय किस्त	सहयोग राशि का 50 प्रतिशत	तृतीय किस्त की राशि से छत की ढलाई दरवाजा, खिड़की इत्यादि का कार्य करते हुए बुनकर कर्मशाला कार्य को पूर्ण करना होगा। इसके साथ ही लाभुक चतुर्थ किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा।
चतुर्थ किस्त	सहयोग राशि का 10 प्रतिशत	बुनकर कर्मशाला पूर्णता प्रमाण – पत्र निर्गमन।

9. स्वीकृति के उपरांत लाभार्थी द्वारा बुनकर कर्मशाला का निर्माण 12 माह में पूर्ण करना होगा, जिससे बुनकर कर्मशाला निर्माण की लागत में वृद्धि न हो और बुनकर कर्मशाला निर्माण कार्य ससमय पुरा किया जा सके।
10. लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बुनकर कर्मशाला के लक्ष्य को साकार करने की आधारशिला है। इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि कर्मशाला का लाभ वास्तविक वंचित बुनकर परिवारों को मिले, अतः लाभुक चयन प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण और सत्यापन योग्य बनाया जाएगा। अतएव इच्छुक लाभार्थी सीधे झारक्राफ्ट के क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय को आवेदन (Online) कर सकेंगे (प्रपत्र संलग्न)। प्राप्त आवेदनों के आधार पर जाँच टीम द्वारा प्रखण्डों में सत्यापन/सर्वेक्षण/जाँच का कार्य किया जाएगा एवं तद्पोरांत प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।
11. लाभुक बुनकर समितियों/समूहों का चयन अंतिम रूप से इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, निदेशालय झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

Check List:-

(क) समितियों/समूहों का आवेदन (Online) पत्र जिसपर समितियों/समूहों के वर्त्तमान अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिव में से किसी दो के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ख) समितियों/समूहों के अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणा दिये गये प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।

(ग) समितियों/समूहों का पंजीयन संख्या एवं तिथि।

(घ) कार्यरत हस्तकरघा की संख्या।

(ङ) वर्त्तमान कार्य स्थल का फोटोग्राफ।

(च) बुनाई उत्पादन का साक्ष्य (झारक्राफ्ट से कार्यरत समितियों/समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी)।

(छ) बुनकरों का आधार कार्ड, बुनकर कार्ड, बैंक खाता इत्यादि दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे।

(ज) दानपत्र/रजिस्ट्री की मूलप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

(झ) बुनकर कर्मशाला निर्माण से संबंधित रेजुलेसन की प्रति समितियों/समूहों का होना अनिवार्य है।

(ञ) समितियों/समूहों का अंकेक्षण प्रमाण पत्र 2 वर्षों का (2022 के बाद से)।

(नोटः– समितियों/समूहों का उपरोक्त नियम एवं शर्तें के साथ सभी दस्तावेजों पर समितियों/समूहों द्वारा स्वअभिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, उसके उपरांत प्राप्त आवेदन के चयन पर निर्णय लिया जाएगा।)

ह0/–
महाप्रबंधक (प्रशासन)
झारक्राफ्ट, राँची